दश0 छात्रवृत्ति / अति–आवश्यक / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
2. समस्त, कुल सचिव, केन्द्रीय / राज्य / निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ।
3. समस्त, प्रबन्धक / कुल सचिव / निदेशक / प्राचार्य मेडिकल / प्रधानाचार्य / इन्जीनियरिंग / प्रबन्धन / पैरामेडिकल / पालीटेक्निक / आई0टी0आई0 जनपद लखनऊ।

पत्रांकः– C-3282 / स0क0 / द0छात्रवृत्ति / 2022–23 दिनांक 29 अक्टूबर, 2022

विषयः–शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी के अनुसार छात्र / छात्रों का डाटा (नवीन / नवीनीकरण) के अभिलेखों से समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरान्त छात्रों के फाइनल रूप से सबमिट आवेदन पत्रों को निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन प्राप्त कराना, सत्यापित एवं अग्रसारित किये जाने के संबंध में।

महोदय

कृपया उपुर्यक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी0 2386 दिनांक 02 सितम्बर 2022, पत्र सं0 सी 2410 दिनांक 06 सितम्बर 2022, पत्र सं0 सी 2553 दिनांक 09 सितम्बर 2022, पत्र सं0 सी 2618 दिनांक 15 सितम्बर 2022, पत्र सं0 सी 2689 दिनांक 20 सितम्बर 2022 एवं पत्र सं0 सी 3087 दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं0 सी 3068 दिनांक 07 अक्टूबर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में जारी समय–सारिणी दिनांक 02 मई 2022, दिनांक 29 अगस्त 2022 एवं दिनांक 03 अक्टूबर 2022 द्वारा छात्र / छात्राओं एवं शिक्षण संस्थानों को निर्धारित तिथियों में अपने–अपने स्तर से ससमय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के नियम 16–1(xvi) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया जायेगा तथा अपात्र छात्रों का आवेदन समुचित कारण दर्शाते हुये संस्था स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा आर्नलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 07 नवम्बर 2022 तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2022 है।(जनपदवार शिक्षण संस्थानों से अग्रसारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या सूची संलग्न)

अतः उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2022–23 दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्गत उपरोक्त समय–सारणीयों एवं उपरोक्त वर्णित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित / पेंडिग छात्र–छात्राओं के डाटा को परीक्षणोपरान्त ससमय् अग्रसारित करना सुनिचित करें। जिससे कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कोई भी पात्र छात्र / छात्रा वंचित न रहें।

भवदीय,

(सुनीता सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सी–3087 दिनांक 25 अक्टूबर 2022 के कम में सूचनार्थ।

2–जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।

3–मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।